पत्रांक आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / 2008–09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून ::29 दिसम्बर '08

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

वैट अधिनियम की धारा–7(1) में ऐसे व्यापारी, जिनका पूर्व के वर्ष में सकल विक्रय धन रू0 50 लाख से कम है, के लिए सकल विक्रय धन के आधार पर 1 प्रतिशत समाधान राशि अदा किये जाने का प्राविधान रखा गया है। यह प्राविधान ऐसे व्यापारियों के लिए नहीं है जिनके द्वारा निर्माण, आयात, केन्द्रीय बिक्री, स्टॉक ट्रांसफर आदि किया जाता है। अर्थात यह प्राविधान ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनके द्वारा सिर्फ प्रान्त अन्दर खरीद–बिक्री का कार्य किया जाता है। इस प्रावधान का मुख्य उददेश्य ऐसे व्यापारियों को सुविधा देना है जिनके द्वारा ग्राहकों को सीधे फुटकर बिक्री की जाती है तथा इनके द्वारा प्रत्येक छोटी–छोटी बिक्री के लिए बिल जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उनसे सकल विक्रय धन का 1 प्रतिशत समाधान राशि कर के रूप में दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

व्यापारी संगठनों द्वारा यह समस्या रखी गई है कि कर–निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के मामलों में खरीद की सूची दाखिल किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जबकि धारा–7(1) के अन्तर्गत समाधान का विकल्प अपनाने वाला व्यापारी न तो आई0टी0सी0 का लाभ ले सकता है और न ही ग्राहकों से कर वसूल कर सकता है। अतः समाधान का विकल्प अपनाने वाले व्यापारियों को खरीद की सूची के लिए बाध्य न किया जाय।

इस बिन्दु पर विचारोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि चूँकि वैट अधिनियम की धारा–7(1) में दिये गए प्राविधानों में ऐसे व्यापारियों को 1 प्रतिशत वाली समाधान योजना से बाहर किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिनके द्वारा प्रान्त अन्दर से अपंजीकृत से खरीद कर बिक्री की जाती है, अतः ऐसी स्थिति में ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा वैट अधिनियम की धारा–7(1) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत समाधान राशि अदा करने का विकल्प चुना जाता है, को वार्षिक विवरणी के साथ खरीद की सूची देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाये।

(एल.एम.पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

3296

पृ0प0सं0 दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3— अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4— एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

8— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

10— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी।

11— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

12— नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

13— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

14— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

15— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

16— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

29/12/2008

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।